जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

संशोधन

क्रमांक जविप्रा/अधि अभि/8/2021/डी–334 दिनांक 22-9-21

पूर्ण कालीन बिड सूचना संख्या अधि.अभि–8/12/2021–22 दिनांक 10.09.2021 के द्वारा कार्य Strengthening, widening of sector roads and Renewal of internal roads in JDA scheme Patrakar Colony zone-8 JDA Jaipur. **आंमत्रित की गई थी। जिसमें कार्य की अन्तिम** Submission **दिनांक 30.09.2021 थी। नगरीय विकास आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प01(24)नविवि/I/2020 लूज जयपुर, दिनांक 20.09.2021 के अनुसार "निविदाओं में संवेदकों द्वारा बी.एस.आर दर से कम दर डालने पर अन्तर राशि (At PAR की दर से जितनी कम है) वर्क परफोरमेंस गारन्टी के रूप में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ली जायेगी तथा इसे कार्य के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात दोष निवारण अवधि में कार्य की स्थिति सन्तोषजनक पाये जाने पर दोषनिवारण अवधि उपरान्त वापस लोटा दिया जावेगा। न्यूनतम दर दाता की बोली नियमानुसार स्वीकृत कर** Letter of acceptance (LOA) **जारी किया जावेगा एवं बी.एस.आर. दर से कम दर की अन्तर राशि की** BG/FDR/NSC **प्रस्तुत करने हेतु 14 दिवस का समय दिया जायेगा। अन्तर राशि जमा नहीं कराने पर** BID Security **की राशि नियमानुसार जब्त कर ली जावें। यदि संवदेक वर्क परफोरमेंस गारन्टी राशि जमा कराने के पश्चात् कार्य सन्तोषजनक रूप से पूर्ण नही करता है अथवा दोष निवारण अवधि में कार्य में खराबी होती है तो उसकी वर्क परफोरमेंस गारन्टी की राशि जब्त कर ली जावे एवं अनुबन्धानुसार अन्य कार्यवाही भी संपादित की जावें।" (आदेश संलग्न) उपरोक्त शर्त को** Bid Document **की** Special Conditions **के बिन्दु संख्या 29 एंव** Other Conditions **की बिन्दु संख्या 8 के स्थान पर जोड़ा जाता है। अर्थात** Bid Document **की** Special Conditions **के बिन्दु संख्या 29 एंव** Other Conditions **की बिन्दु संख्या 8 जो पूर्व में थी उसको न मानकर उपरोक्त नई शर्त को माना जावे। अन्य शर्ते एवं समय आदि यथावत रहेंगें।**

Katewa 22/9/21
अधिशाषी अभियन्ता–8
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. विशेषाधिकारी (जनसंपर्क), जविप्रा, जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त संशोधन का प्रकाशन शीध्र करवाने का श्रम करें।
2. नोटिस बोर्ड, जविप्रा जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली

Katewa
अधिशाषी अभियन्ता–8
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष- ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन (5124), फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल (ee.8jda786@gmail.com)

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः– प.01(24)नविवि/1/2020 लूज जयपुर, दिनांकः– 20 SEP 2021

आदेश

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यो की निविदाओं में संवेदकों द्वारा बी.एस.आर. दर से कम दर डालने पर अन्तर राशि (AT PAR की दर से जितनी कम है) वर्क परफोरमेंस गारन्टी के रुप में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ली जाएगी तथा इसे कार्य के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात दोष निवारण अवधि में कार्य की स्थिति सन्तोषजनक पाए जाने पर, दोषनिवारण अवधि उपरान्त वापस लौटा दिया जावेगा। न्यूनतम दरदाता की बोली नियमानुसार स्वीकृत कर Letter of acceptance (LOA) जारी किया जावेगा एव बी.एस.आर. दर से कम दर की अन्तर राशि की BG/FDR/NSC प्रस्तुत करने हेतु 14 दिवस का समय दिया जायेगा। अन्तर राशि जमा नहीं कराने पर BID SECURITY की राशि नियमानुसार जब्त कर ली जावें। यदि संवेदक वर्क परफोरमेंस गारन्टी राशि जमा कराने के पश्चात कार्य सन्तोषजनक रूप से पूर्ण नही करता है अथवा दोष निवारण अवधि में कार्य में खराबी होती है तो उसकी वर्क परफोरमेंस गारन्टी की राशि जब्त कर ली जावे एवं अनुबन्धानुसार अन्य कार्यवाही भी संपादित की जावें। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते है। यह आदेश उन सभी निविदाओं पर लागू होगा जो कि भविष्य में जारी होगी तथा वे निविदाएं जो इस आदेश के जारी होने की दिंनाक तक अप्राप्त है, इस सम्बन्ध में निविदा दस्तावेजों में आवश्यक संशोधन तुरन्त संबन्धित उपापन अधिकारी द्वारा किया जावे एवं नवीन सभी निविदाओं में उक्त शर्तो का समावेश किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(कुन्जीलाल मीना)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. वरिष्ठ उपशासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6. सचिव, विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर, आबू, बाडमेर, भरतपुर, बीकानेर, भीलवाडा, चित्तौडगढ, जैसलमेर, पाली, कोटा, उदयपुर, सीकर, श्रीगंगानगर एवं सवाईमाधोपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
नगरीय विकास विभाग

Scanned by CamScanner